न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 166 सन 2022

अनवान :–

1. जसवीरसिह पुत्र जीवण सिह जाति बाजीगर निवासी देसु मलकाना हाल फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भोला पुत्र शेराराम उर्फ शेरासिह जाति बाजीगर निवासी देसु मलकाना हाल फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. कोली उर्फ धोली सिह पुत्र शेराराम उर्फ शेरसिह जाति बाजीगर निवासी कमाना डबली राठाना जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 06/06/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 38/35 की कुल 9.1080हैक भूमि में से 2276/89105हैक भूमि मुश्तरका खाते में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शेराराम वल्द मंगलाराम के नाम सें दर्ज है।

वादी भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शेराराम वल्द मंगलाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का दादा है वादी के दादा शेराराम वल्द मंगलाराम ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की भूमि की वसीयत अपने पोते वादी एवं पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में तहरीर करवाई जाकर पंजीबद्व करवाई गई थी वादी के दादा शेराराम वल्द मंगलाराम उर्फ बालकसिह को देहान्त हो चुका है वादी के दादा दादा शेराराम वल्द मंगलाराम उर्फ बालकसिह के देहान्त होने के बाद वादी के दादा की वसीयत के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 खातेदार काश्तकार हो गये है इसलिये शेराराम वल्द मंगलाराम उर्फ बालकसिह के नाम से दर्ज भूमि को वसीयत के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। शेराराम के तीन पुत्र थे जिनमें से वादी के पिता जीवनसिह का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी है इसप्रकार शेराराम के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2, है शेराराम के देहान्त होने पर विरास्तन से भी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ही हकदार है इसलिये वसीयत या विरास्तन से वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की दादा शेराराम वल्द मंगलाराम उर्फ बालकसिह के नाम से दर्ज भूमि को वादी वसीयत के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने निवेदन किया की वाद भूमि उनके पिता शेराराम वल्द मंगलाराम उर्फ बालकसिह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिन्होने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के मृतक भाई जीवनसिह के पुत्र जसवीर सिह वादी एवं प्रतिवादी

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

Scanned with CamScanner

संख्या 1 ,2 के पक्ष में अपनी स्वेच्छा से वसीयत तहरीर करवाई जाकर पंजीबद्व करवाई गई थी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पिता व वादी के दादा शेराराम वल्द मंगलाराम उर्फ बालकसिह का देहान्त हो चुका है इसलिये शेराराम वल्द मंगलाराम उर्फ बालकसिह के देहान्त होने के बाद उनकी वसीयत के अनुसार शेराराम वल्द मंगलाराम उर्फ बालकसिह के नाम से दर्ज भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 खातेदार काश्तकार हो गया है तथा शेराराम के जायज वारिसान भी वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है विरास्तन से भी शेराराम के नाम दर्ज भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 पाने के अधिकारी है इसलिये वाद भूमि उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 1 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 38/35 की कुल 9.1080हैक भूमि में से 2276/89105हैक भूमि मुश्तरका खाते में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शेराराम वल्द मंगलाराम के नाम सें दर्ज है।

वादी भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शेराराम वल्द मंगलाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का दादा है वादी के दादा शेराराम वल्द मंगलाराम ने अपने जीवनकाल में अपने हक हिस्सा की भूमि की वसीयत अपने पोते वादी एवं पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में तहरीर करवाई जाकर पंजीबद्व करवाई गई थी वादी के दादा शेराराम वल्द मंगलाराम उर्फ बालकसिह को देहान्त हो चुका है वादी के दादा दादा शेराराम वल्द मंगलाराम उर्फ बालकसिह के देहान्त होने के बाद वादी के दादा की वसीयत के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 खातेदार काश्तकार हो गये है इसलिये शेराराम वल्द मंगलाराम उर्फ बालकसिह के नाम से दर्ज भूमि को वसीयत के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 अपने नाम दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। शेराराम के तीन पुत्र थे जिनमें से वादी के पिता जीवनसिह का देहान्त हो गया है जिसके जायज वारिसान वादी है इसप्रकार शेराराम के जायज वारिसान वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 है शेराराम के देहान्त होने पर विरास्तन से भी वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ही हकदार है इसलिये वसीयत या विरास्तन से वाद भूमि वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के अधिकारी है

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 38/35 की कुल 9.1080हैक भूमि में से 2276/89105हैक भूमि मुश्तरका खाते में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शेराराम वल्द मंगलाराम के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में पिता शेराराम वल्द मंगलाराम उर्फ बालकसिह के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिन्होने अपने जीवनकाल में

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
कोटड़ा

Scanned with CamScanner

अपने हक हिस्सा की भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के मृतक भाई जीवनसिह के पुत्र जसवीर सिह वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पक्ष में अपनी स्वेच्छा से वसीयत तहरीर करवाई जाकर पंजीबद्व करवाई गई थी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 ,2 के पिता व वादी के दादा शेराराम वल्द मंगलाराम उर्फ बालकसिह का देहान्त हो चुका है इसलिये शेराराम वल्द मंगलाराम उर्फ बालकसिह के देहान्त होने के बाद उनकी वसीयत के अनुसार शेराराम वल्द मंगलाराम उर्फ बालकसिह के नाम से दर्ज भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2 खातेदार काश्तकार हो गया है तथा शेराराम के देहान्त होने के बाद उसके जायज वारिसान भी वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 जो विरास्तन से भी शेराराम के नाम दर्ज भूमि को पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ,2 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 38/35 की कुल 9.1980हैक भूमि में से 2276/89105हैक भूमि मुश्तरका खाते में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शेराराम वल्द मंगलाराम के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 06/09/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. जसवीरसिह पुत्र जीवण सिह जाति बाजीगर निवासी देसु मलकाना हाल फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।
2. भोला पुत्र शेराराम उर्फ शेरासिह जाति बाजीगर निवासी देसु मलकाना हाल फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. कोली उर्फ धोली सिह पुत्र शेराराम उर्फ शेरसिह जाति बाजीगर निवासी कमाना डबली राठाना जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 166 सन 2022 निर्णय दिनांक– 06/04/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 1 जेएसएन के खाता संख्या 38/35 की कुल 9.1080हैक भूमि में से 2276/89105हैक भूमि मुश्तरका खाते में वर्तमान राजस्व रिकार्ड में शेराराम वल्द मंगलाराम के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 तीनो बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 06/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner